

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.


उनवान

भैरूसिंह वगै० बनाम गिरवर सिंह वगै०

मुकदमा नं. :- 162/2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय मुंदड़िया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 30.05.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम शिशियां तहसील व जिला झुन्झुनू के हाल भूमि खसरा नं. 53 रकबा 2.05 है० कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर द्वारा मुर्तिब किया गया।



Handwritten signature
उपखण्ड अधिकारी
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	500	खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	504	योग	1

Handwritten signature
30/5/25
(हवाई सिंह यादव) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू